

डिक्री मुकदमा इत्दादाई
(ओ.20 रुल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी शिवचरण शर्मा (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

| वादी | बनाम | प्रतिवादी |
|-------------------------------------|------|-----------------------------------|
| 1. कैलाशचन्द्र पुत्र स्व. हरिनारायण | | 1. कजोड पुत्र दुर्गासहाय |
| 2. बजरंगलाल पुत्र स्व० हरिनारायण | | 2. भगवानसहाय पुत्र स्व. रामकिशोर |
| 3. बनवारीलाल पुत्र स्व० हरिनारायण | | 3. राधेश्याम पुत्र स्व. रामकिशोर |
| समस्त जाति नाई निवासी ग्राम | | 4. सीताराम पुत्र स्व. रामकिशोर |
| राजपुरा पातलवास, तहसील | | 5. गुलाब देवी पत्नि स्व. रामकिशोर |
| तूंगा, जिला जयपुर। | | 6. मन्जू पुत्री स्व० रामकिशोर |
| | | समस्त जाति नाई निवासी ग्राम |
| | | राजपुरा पातलवास, तहसील |
| | | तूंगा, जिला जयपुर। |
| | | प्रतिवादीगण |
| | | 7. केदार पुत्र गोकुल |
| | | 8. बसन्तीलाल पुत्र गोकुल |
| | | 9. विमला पत्नि गोकुल |
| | | 10. हनुमानसहाय पुत्र गोकुल |
| | | रामबाबू पुत्र छीतर समस्त जाति |
| | | नाई निवासी ग्राम राजपुरा |
| | | पातलवास, तहसील |
| | | तूंगा, जिला जयपुर। |
| | | 11. सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी |
| | | तहसील बस्सी जिला जयपुर। |
| | | 12. उपपंजीयक बस्सी तहसील बस्सी |
| | | जिला जयपुर। |
| | | तरतीबी प्रतिवादीगण |


दावा बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा न० 108/2022

निर्णय दिनांक 14.10.2022

वादी का वाद राजीनामा अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है कि भूमि वादग्रस्त ख.नं. 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 203, 142, 824, 825, 826, 827, 835, 836, 837, 840, 841, 842, 843 कुल किता 18 कुल रकबा 5. 8800 हेक्टेयर स्थित ग्राम राजपुरा पातलवास, पटवार हल्का राजपुरा पातलवास, तहसील तूंगा, जिला जयपुर मे से हिस्सा 1/4 की भूमि में से 1/3 दर हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार वादी संख्या 1 को व 1/3 दर हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार वादी संख्या 2 को तथा 1/3 दर हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार वादी संख्या 3 को तथा भूमि वादग्रस्त के हिस्सा


सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर